

अनवान बाबुविहं विस अंपराविहं
मुकदमा नंबर 06 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.24	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>उभयपक्षकारन अधिवक्ता उपस्थित । विप्रार्थी वकील जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है।</p> <p>उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई।</p> <p>प्रार्थी वकील की बहस है कि मूल वाद में आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना बहस हेतु दिनांक 07.02.2020 (शुक्रवार) को रखी गई थी मगर वादी (प्रार्थी) वकील श्री चन्द्रपकाश गुप्ता जो कि प्रत्येक सोमवार को न्यायालय में उपस्थित होते है जिस कारण पेशी का ज्ञान नहीं हो सका जिससे मूल वाद वादी व वादी वकील की अनुपस्थिति में वाद पत्र अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था वादी वकील की गलती के कारण वादी(प्रार्थी) न्याय से वंचित रह जायेगा। वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय आदेश मन्सुख फरमाया जावे।</p> <p>विप्रार्थी वकील ने दौरान बहस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 1000 कॉस्ट पर स्वीकार कर मूल वाद संख्या 61/2013 व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने हेतु सहमति प्रस्तुत की गई</p> <p>प्रार्थी वकील द्वारा माफिक सहमति 1000/- रूपये की कॉस्ट के रूप में श्री जीवदया गौ-सेवा संघ सिवाना की रसीद प्रस्तुत की गई ।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माफिक सहमति स्वीकार किया जाता है। मूल वाद व प्रार्थना पत्र नये नम्बर पर दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

